आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 138/13–14

भोला चौधरी वनाम् राजनन्दन ठाकुर एवं अन्य

आदेश

2.07.14

आवेदक भोला चौधरी पिता स्व० हवलदार चौधरी निवासी ग्राम केयाल,टोला बहेलिया बिगहा,थाना करपी जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर अवैध दखल कब्जा से रोकने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो कैयाल टोला बहेलिया बिगहा थाना करपी जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
544	6773	7 बीधा 12 कट्टा	उतर– सहदेव चौधरी दक्षिण– भोला चौधरी पूरब– कारू पासवान पश्चिम– जगदीश पंडित

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 29.08.13 को दामोदर प्रसाद सिंह पिता स्व० करमू सिंह संध्या किरण पति दामोदर प्रसाद सिंह साकिनान फतेहपुर संडा थाना वो जिला अरवल एवं सरोज कुमारी पति अशोक कुमार ग्राम मुरादपुर हुजरा थाना वो जिला अरवल ने हस्तक्षेपक बनने हेतु आवेदन दिया था जिसे स्वीकृत किया गया। वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवकता का कहना है कि भू–मालिक परीखा ठाकुर ने 12.04.1974 को स्टाम्प पर एक एकरारनामा निष्पादित कर कबूल किया कि विवादित भूमि पर जोतने कोड़ने के लिए मुन्दरी देवी,वादी की मॉ, को हक दे दिया और वादा किया कि दिनांक 12.

04.1964 तक अगर रजिस्ट्री में किसी तरह दिक्कत मेरे द्वारा पहुँचाया जाएगा तो एकरारनामा प्राप्तकर्ता मुन्दरी देवी 2250=00 रूपया में ही जबरन केवाला कर लेगें। परीखा ठाकुर ने उक्त एकरारनामा में यह भी स्वीकार किया कि मेरे द्वारा रजिस्ट्री करने में कोई दिक्कत की गई या इनकार किया गया तो वादग्रस्त भूमि पर मेरा कोई हक नही रहेगा।

विपक्षी एवं हस्तेक्षपक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित भूमि को उन्होंनें रजिस्ट्रर्ड केवाला (डीड नं० 1298,1301 एवं 1300) से कय किया है और केताओं के नाम डिमाण्ड कायम है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित भूमि पर दावा एक सादा एकरारनामा के आधार पर किया है जो दिनांक 12.04.1974 को निष्पादित है। उक्त सादा एकरारनामा जो वर्ष 1960 के बाद का है,पर आवेदक के किसी अनुतोष को स्वीकृत नही किया जा सकता है, वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

12.07

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

12.07

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।